

उक्त के क्रम में दिनांक 22 से 24 जनवरी, 2025 की समीक्षा बैठक में अयोध्या मण्डल के जनपदों में कुल व्यय की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है—

मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान निम्न बिन्दु संज्ञान में आये :-

- अयोध्या मण्डल के अधिकांश जनपदों में बहुत से एफ.एम.आर. कोड पाये गये जिसमें धनराशि आवंटन नहीं की गयी है। परन्तु एफ.एम.आर. कोड में धनराशि के व्यय का अंकन किया गया है।
- जनपदों द्वारा ब्लाक एक्शन प्लान का मुद्रण कराकर ब्लाक को प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि ब्लाक एक्शन प्लान मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने हेतु धनराशि का प्रावधान है।
- निर्देशित किया गया कि सभी कार्यक्रमों के कंसल्टेंट/कोऑर्डिनेटर द्वारा अपने कार्यक्रम का एफ.एम.एस. पर ब्लाक एक्शन प्लान तैयार किया जाये तथा सम्बंधित सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाये।
- जनपद एवं ब्लाक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों तथा लेखा प्रबंधक के मध्य समन्वय की कमी के कारण समयानुसार धनराशि के व्यय कमी पायी गयी।
- समीक्षा बैठक में पाया गया कि विभिन्न कार्यक्रमों के कंसल्टेंट/कोऑर्डिनेटर की एफ.एम.एस. की आई.डी. नहीं बनायी गयी है। व्यय सम्बंधी सूचना हेतु जिला लेखा प्रबंधक पर निर्भरता है, जिसके कारण समय पर वित्तीय समीक्षा नहीं हो पाती है।
- महाप्रबंधक-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी कंसल्टेंट/कोऑर्डिनेटर की एफ.एम.एस. आई.डी. बनायी जाये एवं उनका मण्डलीय लेखा प्रबंधक द्वारा अभिमुखीकरण भी किया जाये। यदि आवश्यक हो तो राज्य स्तर से वित्त अनुभाग द्वारा सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- एफ.एम.एस. पोर्टल पर बजट आवंटन के पश्चात ही व्यय किया जाये। बजट आवंटन न होने की स्थिति में व्यय कदापि न किया जाये।
- अवगत कराया गया कि जे.एस.वाई. प्रशासनिक मद से कर्मचारी का मानदेय न निर्गत किया जाये। विशेष परिस्थिति में कार्य आधारित भुगतान किया जा सकता है।
- अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस अभियान के मद में कोई भी धनराशि कमिट नहीं करायी जायेगी। शत प्रतिशत व्यय इसी वर्ष नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जाये।
- जनपद सुल्तानपुर में जिला लेखा प्रबंधक बैठक में अनुपस्थित थे। समीक्षा के प्रति उदासीनता पायी गयी। क्योंकि समीक्षा बैठक में पूर्व से निर्धारित 05 खराब प्रदर्शन वाले ब्लाकों के सभी प्रतिभागियों को नहीं बुलाया गया था। इस कारण वृहद स्तर पर सभी ब्लाकों से समीक्षा नहीं की जा सकी।
- जनपद बाराबंकी में समीक्षा बैठक हेतु उदासीनता पायी गयी सभी अधिकारियों एवं कार्यक्रमों के कंसल्टेंट द्वारा आवश्यक सूचनाओं के साथ प्रतिभाग नहीं किया गया।
- जनपद अम्बेडकर नगर की अर्बन कोऑर्डिनेटर द्वारा बिना सूचना के ही बैठक छोड़कर कहीं चले गये थे।

स्थान : आयुष्मान आरोग्य मंदिर टिकरिया, ब्लाक गौरी जनपद अमेठी

- आयुष्मान मन्दिर टिकरिया एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफाइड इकाई है। सी.एच.ओ. का कार्य सरहनीय पाया गया।
- 62 आवश्यक दवाओं के सापेक्ष मात्र 58 दवाएं उपलब्ध हैं, उपलब्ध दवाओं की सूचना इकाई पर डिसप्ले पायी गयी। अन्य दवाओं का इंडेंट कर शीघ्र उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
- प्रिंटेड ओपीडी, जांच रजिस्टर, स्टॉक रेफरल रजिस्टर उपलब्ध पाये गये। डेड स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध है अपडेट करने की आवश्यकता पायी।
- एएनएम एवं सीएचओ को गुण
- वाक्ता पूर्ण एएनसी पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, एएनसी बढ़ाने के लिए आशा वार समीक्षा की आवश्यकता है।।
- जांच किट में आयोडीन, पानी की जांच किट, Hep-B, किट उपलब्ध थी।
- प्रसव कक्ष में IEC एवं प्रोटोकॉल पोस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

 

- FPLMIS पोर्टल के माध्यम से परिवार नियोजन साधनों का इंडेंट तथा सेवा देने के पश्चात इश्यू टू क्लाइंट किया जा रहा है।
- Anmol portal अपडेट पाया गया एवं इकाई पर एन.सी.डी. स्क्रीनिंग की जा रही थी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लाक राम नगर जनपद बाराबंकी

- समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर एफ.आर.यू. है। परन्तु कहीं पर भी ब्राडिंग नहीं की गयी थी।
- परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया एवं इकाई के कई कक्ष के शीशे टूटे हुये पाये गये।
- NBSU क्रियाशील था। बेबी वजन मशीन एवं फोटोथिरेपी टाइमर खराब पाया गया।
- लेबररूम में लेबर टेबल पर रखी पिलो बहुत ही गंदी है, लेबर टेबल पर कॅलिस पैड नहीं है। लेबररूम में डिजिटल वॉल क्लॉक नहीं थी। लेबररूम में Wall mounted thermometer नहीं है।
- लेबररूम में ऑटोक्लेव का लॉग-बुक नहीं तैयार किया गया, जिससे ये पता करना मुश्किल था की अन्तिम बार कब ऑटोक्लेव उपयोग किया गया। Delivery सेट नहीं रखा गया है जबकि निर्धारित मानक के अनुसार हमेशा 2 ऑटोक्लेव किया हुआ Delivery सेट रखा जाना आवश्यक है।
- केस शीट अपूर्ण पायी गयी तथा किसी भी स्टाफ नर्स द्वारा केस शीट पूर्ण रूप से नहीं भरी जा रही है।
- MNH tool kit के अनुसार लेबर रूम हेतु आवश्यक ट्रे, दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्धारित मानक अनुसार प्रसव मे प्रयोग किए जाने वाले इन्स्ट्रुमेंट को विसंक्रमित किया जाय।
- अंतराल एवं प्रसव पश्चात परिवार नियोजन की उपलब्धता से संतुष्ट, परिवार नियोजन काउंसलिंग कॉर्नर की स्थापना की जाय तथा काउंसलिंग हेतु स्टाफ नर्स को नामित किया जाय।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी./आई.यू.सी.डी.रजिस्टर्स अपूर्ण पाये गये, रजिस्टर के सभी कॉलम में जानकारी नहीं भरी जा रही थी।
- लाभार्थियों को खाना नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा था तथा डाइट रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।
- बॉयोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण लैब एवं लेबर रूम में मानकानुसार नहीं किया जा रहा था।
- किशोर साथिया केन्द्र में मासिक रिपोर्ट काउंसलर द्वारा सही से नहीं बनायी जा रही है।
- किशोर स्वास्थ्य काउंसलर को कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर नहीं उपलब्ध कराया गया है।
- आर.के.एस. रजिस्टर्स मांगे जाने पर भी इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण आर.के.एस. से सम्बंधित व्यय की समीक्षा नहीं की जा सकी।
- इकाई पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की कोई भी बुकलेट इत्यादि नहीं तैयार की जाती है, जिसके कारण माहवार विवरण की स्थिति इकाई पर उपलब्ध नहीं थी।


Mridul Raj Joshi
Technical Support
SPMU (NHM)


हर्नन्दीत सिंह
तकनीकी सहायक- किशोर स्वास्थ्य
संयोजक स्वास्थ्य विभाग, एनएम

